नकल आदेश दिनांक 23.3.11 की छायाप्रति।

न्यायालय उप जिलाधिकारी(सदर)गोरखपुर

वाद संख्या 38/011
रामगुलाम राय शिक्षण
प्रशिक्षण महाविद्यालय
सेमरा अयोध्या प्रसाद
गोरखपुर द्वारा प्रबंधक
प्रभात कुमार राय
बनाम
सरकार

धारा 143
मौजा–सेमरा अयोध्या प्रसाद
तप्पा–हवेली परगना–हवेली
तहसील–सदर गोरखपुर

आदेश

प्रस्तुत वाद में वादी का कथन है कि उक्त मौजे की आराजी संख्या 183/0.324हे0 यानी–80डि0 का भूमिधर एवं काबिज है तथा विवादित आराजी पर महाविद्यालय रामगुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सेमरा अयोध्या प्रसाद गोरखपुर बन कर शिक्षण कार्य करने हेतु तैयार है तथा कृषि कार्य में नही लाया जाता है।आबादी के रूप में परिवर्तित हो चुका है।लगान से अवमुक्त करने योग्य है।

वाद को तहसीलदार,सदर के पास भेजकर आख्या मागी गयी।तहसीलदार,सदर ने अपनी आख्या दिनांक 18.3.2011 में वादी के कथन को स्वीकार किया है।वाद का भली भांति अवलोकन किया ।तहसीलदार,सदर की आख्या दिनांक 18.3.2011 स्वीकार करने योग्य है।

अतः आदेश दिया जाता है कि रामगुलाम राय महाविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सेमरा अयोध्या प्रसाद गोरखपुर द्वारा प्रबंधक प्रभात कुमार राय पुत्र श्री उमाशंकर राय निवासी ग्राम सल्हपुर भटनी,देवरिया संचालित द्वारा रामगुलाम राय राजादेवी चेरिटेबुल ट्रस्ट–ए 33 दिव्यनगर गोरखपुर की आराजी संख्या 183/0.324हे0 यानी–80डि0 को अकृषक/आबादी घोषित किया जाता है।अमलदरामद हेतु मूल पत्रावली भेजी जाय।बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

23.3.11
(विजयनाथ पाण्डेय)
उप जिला मजिस्ट्रेट(सदर)
गोरखपुर

1557
23.3.011

नकल जारी
16883
27/05/15

प्रतिलिपिकर्ता -
मुलानकर्ता -

25/11/16